

Tender Notice

Tenders are hereby invited in sealed envelopes for supply, installation and operation of Digital Display System equipments, based on Flat Panel Digital Display Technology (LED based), along with its softwares data transfer unit, court hall display, scroling display, composite board with moving message line, window based software for data processing trasmmitting on boards and on Internet, with SMS service, inter-connection cables and its necessary accessories, for display of case-lists, court allotments and serial number of proceeding of cases in 22 court rooms, on digital display and 15 numbers of 42" flat panel centralized and consolidated LED display with synchronised clocks on every display board and with the flexibility of any change in display items.

Digital Display Equipments shall have to be installed and made operational in working condition in the High Court premises, as per site requirement, so as to show court allotments and serial number of proceeding of cases on the digital display.

Tender forms, with terms & conditions can be obtained from the Cash Section of Rajasthan High Court Bench, Jaipur, on payment of non-refundable tender fee of Rs. 100/- only by cash or by way of bank demand draft, in favour of Registrar (Administration), Rajasthan High Court Bench, Jaipur, on working days, from 12.05.2011 to 24.05.2011 in between 7.30 a.m. and 12.00 noon. Detailed information regarding tenders will also be available on High Court Website- <http://hcraj.nic.in> from 11.05.2011.

The last date for submitting tenders is 25.05.2011 up-to 10.00 a.m., and the same will be opened on the same date at 11.00 a.m. in the office of Registrar (Admn.) in presence of the present tenderers. Rs. 60000/- (Rupees Sixty Thousand) Earnest Money of 2% of the estimated cost, will have to be deposited by the tenderers, by way of demand draft in favour of Registrar (Administration), Rajasthan High Court Bench, Jaipur. The undersigned will have the right to accept or reject any tender, without assigning any reason, and to make any change in the dates of receiving and opening tenders.

Registrar (Administration)
Rajasthan High Court Bench,

(Signature)
रजिस्ट्रार (प्रशसन)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

Tender for digital display system
due date 24.05.2011 up to 12.00 noon
Tender fee Rs.100/-

संगलक "खा"

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।

- 1- विषय
के लिए निविदा उन वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश किये गये हों ॥
- 2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

3-पते पर भेजा गया :-

4-संदर्भ

5-निविदा का शुल्क _____ रुपये ----- कद-रसीद
सं० ----- दिनांक ----- को जमा करा
दिये गये हैं ।

6-हम ----- द्वारा जारी किये गये

टेनडर नोटिस संख्या ----- दिनांक ----- वर्णित सभी,
शर्तों को तथा संलग्न कागजों में दो गधी उक्त निविदा कोटि को अग्रिम
शर्तों को भी जिनके लिए सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित रक्तों को स्वीकार
करने के लिये हस्ताक्षर लिये हैं मानने के लिए बाध्य है ।

7----- निविदा करने की दरे लिखित है ।

8-फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर
भेज दिया जावेगा ।

9-उपरोक्त अंकित दरे समय के लिए ही मान्य है ।
पारस्परिक समझौते के जरूरत सम्यावधि बढ़ाई जा सकती है ।

10----- रुपये का ----- के पत्र में
झाफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या ----- दिनांक -----
एवं संबंधित परिमाण के आयकर अधिकारी का वुकती करने का प्रमाण पत्र
एवं आदि त बिक्री कर / वांगज्य कर अधिकारी से बिक्री कर वुकती प्रमाण-
पत्र उसके साथ संलग्न किये गये हैं ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न:-

- 1- -----
2- -----
3- -----

Tenders for supply, installation and operation of Digital Display System equipments, based on Flat Panel Digital Display Technology (LED based), along with its softwares data transfer unit, court hall display, scroling display, composite board with moving message line, window based software for data processing trasmitting on boards and on internet, with SMS service, inter-connection cables and its necessary accessories, for display of case-lists, court allotments and serial number of proceeding of cases in 22 court rooms, on digital display and 15 numbers of 42" flat panel centralized and consolidated LED display with synchronised clocks on every display board and with the flexibility of any change in display items. Vender will also be responsible for any additional equipment, if required for the successful installation and function of the display board system.

Digital Display Equipments shall have to be installed and made operational in working condition in the High Court premises, as per site requirement, so as to show court allotments and serial number of proceeding of cases on the digital display.

Tender rates valid up-to 30.05.2012

Sr. No.	Items detail	Approx.required Quantity up-to 30.05.2012	Rates in words and figures with one year gurantee	Rates in words and figures with two year gurantee	Rates in words and figures with three year gurantee
1	Supply of data transfer unit	22Pcs.			
2	Supply of Court Hall Display unit	22Pcs.			
3	Supply of LED based 24 window single face main compositeboard along with moving message line (To be installed at various locations like lobies, bar council, office library, Reception office etc.) with synchronised clocks.	15Pcs.			
4	Supply of inside Court Rooms Scroling Display Board with synchronised old clocks.	22Pcs.			
5	Supply of window based software for data processing, transmitting on boards internet up load facility along with SMS service	1Pc.			
6	Supply of main PC along with UPS	1Pc.			
7	Supply and laying of data cable through conduit pipe.	Asper Requirement			
8	Supply of Data converter box i.e. RS232 toRS485 and RS485 to RS232	2 Pcs.			
9	Installation of all items				

Signature of Tenderer

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदाएं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं।
2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र स्थाही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छांट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए।
4. निविदादाता को निर्माता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा
5. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्घात की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते समाहित होनों चाहिये। इन्स्टोलेशन के लिए एवं रख-रखाव के लिये नियुक्त स्टाफ की योग्यता एवं अनुभव स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
6. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 30.05.2012 तक कभी भी खरीद की जा सकती हैं।
7. निविदाएं खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेगी, उसके बाद स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
8. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आइटम्स की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारावान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेंगा। (सबलेट नहीं करेगा)
9. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण(साईज, मैक, स्पेशिफिकेशन, शर्त, ड्राईंग्स आदि) देना होगा।
10. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं।
11. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
12. क्रयादेश आदेश जारी किया जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।
13. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता हैं तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
14. निविदा के साथ निविदादाता को बयाना राशि का डी.डी.(निविदा में शामिल मद अनुसार) रजिस्ट्रार(प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के नाम से देय होगा।
15. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगी। बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।
16. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं करता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।

17. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।
18. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
19. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिक्वीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी ।
- (क) विदित सूपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत ।
- (ख) विदित सूपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत ।
- (ग) विदित सूपूर्दगी अवधि की आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढ़े सात प्रतिशत ।
- (घ) विदित सूपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत ।
20. प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी ।
21. क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा । क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर सकती हैं । इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं ।
22. आपूर्ति की गयी सामग्री की कम से कम एक वर्ष की गारन्टी/ वारन्टी शामिल होगी। गारन्टी/ वारन्टी अवधि में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा रिप्लेसमेन्ट अथवा अतिरिक्त पार्ट्स के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
23. गारन्टी की एवज में निविदा मूल्य की 11% राशि अलग से भुगतान में से ही रोकी जावेगी अथवा निविदा दाता फर्म रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को जमा करायेंगे जो कि गारन्टी अवधि के पश्चात project के बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होने पर लौटायी जावेगी।
24. गारन्टी अवधि में खराब यूनिट , project अथवा अंश को बिना शुल्क एकसचेंज किया जावेगा।
25. निविदा दरों में स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित होगा कि यह प्रोजेक्ट किसी भी उपभोक्ता से न्यूनतम दरों पर स्थापित किया जा रहा है यदि दरों में अंतर पाया जावेगा तो अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य होगी।
26. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में डिस्प्ले यूनिट की हर पाँच दिवस में बिना शिकायत स्वतः ही निरन्तर जाँच करने की जिम्मदारी निविदादाता की होगी तथा रजिस्ट्रार(वर्गीकरण) से जाँच उपरान्त हस्ताक्षर करवाये हुये सभी वाऊचर प्रतिमाह स्टोर में जमा करवाने होंगे।
27. न्यायालय से मौखिक/ लिखित शिकायत प्राप्त होने के 5 घण्टे के भीतर डिस्प्ले यूनिट को ठीक करना आवश्यक होगा अन्यथा विलम्ब के प्रथम दिवस 10000/- तथा आगामी दिवसों में प्रति दिवस 2000/- रूपये पेनल्टी वसूलनिय होगी। शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग तथा अन्य उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे।
28. विभागीय क्रय समिति के सदस्यों को संयुक्त अथवा एकल रूप से निरीक्षण करने तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकृत होंगे एवं पेनल्टी राशि का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण करेंगे।
29. क्रेता को अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, यह सुनिश्चित करने के लिये कि निविदाकर्ताओं का प्रस्ताव उच्च न्यायालय की आवश्यकता के अनुरूप तकनिकी दृष्टि से सुदृढ़ है, अथवा नहीं, निविदाकर्ताओं से सिस्टम का Demonstration करवाने का अधिकार होगा। निविदाकर्ताओं को निर्देश देने पर तीन दिवस के भीतर Demonstration करना होगा ।
30. निविदाकर्ता पुराने डिस्प्ले सिस्टम के उपकरणों को जहाँ है, जैसा है, की स्थिति में निरीक्षण उपरान्त निविदा में buy back दर भी दर्शावें।